न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-86/2007/भीलवाड़ा (2007/00002)

श्री चतुर्भुज पुत्र देवीसिंह जाति गाडरी जरिये वारिसान :-
1/1-श्री नगजीराम पिसरान चतुर्भुज
1/2-श्री बालुराम पिसरान चतुर्भुज
1/3-श्री रतनलाल पिसरान चतुर्भुज
समस्त जाति गाडरी निवासी कालीमंगरी का खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा।
1/4-लहरी पुत्री चतुर्भुज पत्नि उंकार गाडरी निवासी राजास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
1/5-बदामी पुत्री चतुर्भुज पत्नि चम्पालाल गाडरी निवासी खातीखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
1/6-मु0नानी बेवा चतुर्भुज निवासी कालीमंगरी का खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलांट्स

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र गुमानसिंह जरिये वारिसान :-
   1/1-श्रीमती भंवरकंवर पत्नि सुरेन्द्रसिंह पुत्री हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भादू तहसील व जिला भीलवाड़ा।
   1/2-जितेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र हरीसिंह निवासी चौथी का खेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. नारायणसिंह पुत्र गुमानसिंह
3. देवीसिंह पुत्र शिवदानसिंह
4. चांवण्डसिंह पुत्र शिवदानसिंह
5. जयसिंह पुत्र शिवदानसिंह
6. मगनसिंह पुत्र शिवदानसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण सत्याबडी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलेक्टर, गंगापुर भीलवाडा दिनांक 29.08.2007 अंतर्गत अपील संख्या 26/2005

उपस्थितः-
1. श्री एम0एल0गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. श्री शंकरलाल, अभिभाषक अपीलांट रेस्पो0 सं0 1 लगायत 6 उपस्थित ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक :- 29.01.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर,गंगापुर भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2007 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1-6 के पिता क्रमशः गुमानसिंह व शिवदानसिंह से खातेदारी अधिकार एंव आधिपत्य की आराजी मौजा काली मंगरी का खेडा तहसील सहाडा में स्थित आराजियात में से 4 बीघा भूमि दिनांक 19.04.64 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था विक्रय पत्र के अनुसार खरीदशुदा भूमि का पडौस कि पुराने राजस्व नक्शे में अपीलांट की आराजी नम्बर 286 की पट्टी को प्रथम पट्टी के रूप में दर्शाया गया है इसी प्रकार आराजी नम्बर 284 के खरीदशुदा रकबे को आराजी नम्बर 285 के उत्तर तरफ स्थित होना दर्शाया गया है इसके बाद जमाबंदी सम्वत् 2043 से 2046 में अपीलांट की आराजी खसरा न0 284/6 रकबा 10 बिस्सा व 286 को आराजी नम्बर 286/7 रकबा 3 बीघा 140 बिस्वा दर्ज रेकार्ड किया गया और इसी अनुसार इन आराजीयात में से अन्य खरीददारान के नम्बर भू प्रबन्ध के दौरान पुराने नम्बर से जो नये नम्बर भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बनाये गये उसमे अपीलांट के खातेदारी में दर्ज आराजी सं 284/6 रकबा 10 बिस्वा का नया नम्बर 758 बनाया जाकर रकबा 0.22 है0 कर दिया जबकि यह रकबा 0.10 है0 दर्ज किया जाना चाहिए था इसी प्रकार अपीलांट के खरीदशुदा आराजी नम्बर 286 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का नया नम्बर 757 दर्ज किया जाना चाहिए था के बजाय 760/1626 रकबा 0.64 है0 दर्ज कर दिया जबकि खसरा नम्बर खसरा मिलान के अनुसार 760/1626 नये नम्बर 284/6 व 286/1 के बजाय बनाया जाना खसरा मिलान में अंकित है और इस मिलान क्षेत्रफल में पुराने नम्बरों का रकबा ही अंकित नहीं किया गया है केवल नये नम्बर का रकबा 0.64 है0 अंकित कर दिया । इस प्रकार आराजी न0 284/6 के खसरा मिलान में दो नये नम्बर कायम कर दिये गये पहला 758 सही दर्ज किया गया व दूसरा 760/1626 जो गलत अंकित किया गया है और अपीलांट की नई बनाई गई जमाबंदी में सही नम्बर 758 सही दर्ज कर दिया गया किन्तु रकबा 0.10 है0 के बजाय 0.22 है0 दर्ज कर दिया और खसना मिलान के अनुसार अपीलांट के खातेदारी की आराजी नम्बर 286/7 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का सही नम्बर खसरा मिलान अनुसार 757 होना प्रमाणित होने के बाबजूद आराजी नम्बर 760/1626 रकबा 0.64 है0 अपीलांट की खातेदारी में दर्ज कर दी । अपीलांट की पुराजी आराजी न0 284/6 रकबा 10 बिस्वा व 286/7 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल 4 बीघा के नये खसरे मिलान अनुसार नये नम्बर 757 व 758 होना प्रमाणित है परन्तु रकबे में आराजी नम्बर 758 जोकि पुराने आराजी नम्बर 286/7 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के बजाय आराजी नम्बर 757 रकबा 0.73 है0 दर्ज किया जाना चाहिए था के बजाय आराजी नम्बर 760/1626 रकबा 0.64

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

है0 ही दर्ज कर दिया गया इस प्रकार आराजी नम्बर 758 के 12 एयर अधिक बनाये गये रकबे को 757 के बनाये गये रकबा 0.57 है0 में जोड दिये जाने पर 0.69 है0 अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था । इस प्रकार दोनों आराजियात खसना मिलान अनुसार अपीलांट के पुराने रकबे अनुसार नये आराजी न0 757 व 758 ही बनाये गये थे परन्तु भू-प्रबंध अधिकारियों द्वारा बनाई गई नयी जमाबंदी में अपीलांट के नाम दर्ज की जाने वाली आराजी न0 757 को रेसपोडेन्ट के पिता के खाते में गलत दर्ज कर दी ओर चतुर्भुज गुर्जर के कब्जे की आराजी 7650/1626 अपीलांट के खाते में दर्ज कर दी व चतुर्भुज गुर्जर के खातेदारी की आराजी को अन्य किसी के खाते में डाल दी । xx

2- अपीलांट के नाम दर्ज की जाने वाली आराजी नम्बर 757 को रेस्पोडेन्ट के पिता के नाम दर्ज कर दिया जबकि आराजी न0 757 का खसरा मिलान में 286 मिन का कोई रकबा ही अंकित नहीं किया गया है जो रेरपोडेट की खातेदारी भूमि थी इस आराजी न0 284 व 286 मिन के वास्तविक आराजी न0 खसरा मिलान के अनुसार 747,748,749,750,745कायम हुए हैं और यह नम्बर रेस्पोडेन्ट के नाम नई जमाबंदी में दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु नई जमाबंदी में रेरपोडेन्ट को केवल 748 व 749 खसरा नम्बर मात्र अंकित की है जो अपीलांट के नाम दर्ज होनी चाहिए जो दर्ज नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि आराजी नम्बर 284/6 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व 286/7 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा अपीलांट के नाम दर्ज थी परन्तु नक्शे में पुष्टि नहीं होती है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय स्वंय अपने निर्णय में नक्शे व रिकार्ड की भिन्नता स्वीकार कर रहे है । मौजूदा राजस्व जमाबंदी में दर्ज आराजी नम्बर 758 का रकबा 0.22 है0 के बजाय 0.10 है0 दर्ज कराये जाने एंव आराजी न0 760/1626 रकबा 0.64 है0 जो कि मेरे खाते में गलत दर्ज है के बजाय अपीलांट के खाते में मोजूदा कब्जे के आधार पर एंव खसरा मिलान में मेरे पुराने नम्बरों के मुकाबले में परिवर्तित नये नम्बर 757 को रेस्पोडेन्ट के खाते से जो कि उनके खाते में गलत दर्ज कर दी गई है निकाली जाकर नई जमाबंदी में अपीलांट के खते में दर्ज किया जावे । xx

3- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामिल प्राप्त हुए । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ।

4- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2015 को अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी अपीलांट की मृत्यु हो जाने पर कायम मुकान स्वीकार करने का निवेदन किया तत्पश्चात् दिनांक रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने दिनांक 06.04.2015 को अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी रेरपोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु हो जाने पर कायम मुकान स्वीकार करने का निवेदन किया । इसी के साथ अभिभाषक द्वारा दिनांक 30.01.2019 को अप्रार्थी संख्या 3 देवीसिंह पुत्र शिवदान एंव दिनांक 14.01.2020 को अप्रार्थी संख्या 1/1 श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह की तलबी बंद करने का निवेदन किया गया । xx

5- सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट विद्वान अभिभाषक के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01. 2015 को अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट की मृत्यु हो जाने अपील में कायम मुकाम रिकार्ड पर लेने बाबत् प्रार्थना पत्र एंव अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु हो जाने पर रेस्पोडेन्ट के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जिसपर अपीलांट द्वारा संशोधित उनवान शामिल पत्रावली किया गया । इसी के साथ अपीलांट अभिभाषक द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 देवीसिंह पुत्र शिवदान एंव अप्रार्थी संख्या 1/1 श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह की तलबी बंद करने का प्रार्थना पत्र को भी सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । xx

6- अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अभिभाषक की बहस सुनी गई । xx

7- अपीलान्ट अभिभाषक मुख्य तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय बहस के आधार पर बिना अपनी ओर से फाइंडिंग दिये तथा बिना मौके की जांच करवाये अन्तर्गत अपील आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है । प्रस्तुत पंजीकृत बयाननामा दिनांक 19.06.64 दस्तावेजों की जांच कर भू प्रबन्ध राजस्व रिकार्ड में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के किसी भी प्रकार का रद्दोबदल करने का अधिकार नहीं होने से प्रकरण पर रिमाण्ड की मांग की गई । xx

8- रेस्पोडेन्ट अभिभाषक का मुख्य तर्क यह था कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय जो रिलिफ मांगी वो रेगुलर वाद में मांगी जानी चाहिए जबकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया होती है जो केवल लिपिकीय त्रुटि को दूर करने के लिए हो सकती है जब किसी खसरे में खातेदारी चाहते हो तो टेडेन्सी एक्ट की धारा 88 के तहत विस्तृत विचारण हेतु रेगुलर वाद से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राहत प्राप्त की जा सकती है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत है अतः अपील खारिज फरमावें । xx

9- हमने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की उभयपक्षीय बहस एवं उनके अपीलमीमो में उल्लेखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुना व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मनन व अवलोकन किया । x

10- हमने अपीलांट अभिभाषक के तर्क एंव न्यायिक दृष्टांतों का सुक्ष्मता से मनन किया हम रेस्पोडेन्ट के तर्क से सहमत है राजस्थान भू-राजस्व अधिनियमि, 1956 की धारा 136 में संक्षिप्त विचारण की की प्रक्रिया होती है जो केपल लिपिकीय त्रुटि को दूर करने के लिए हो सकती है जब किसी खसरे में खातेदारी चाहते हो तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद दायर करना चाहिए जहां विस्तृत विचारण होता है साथ ही जहां साक्ष्य पेश करने का मौका प्राप्त होता है । उक्त अपील में अपीलांट के अन्य खातेदार काश्तकार चतुर्भुज गुर्जर के कब्जे की आराजी 7650/1626 अपीलांट के खाते में दर्ज कर दी व चतुर्भुज गुर्जर के खातेदारी की आराजी को अन्य किसी के खाते में डाल दी की खातेदारी भूमि होने का प्रश्न है इस स्थिति को संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा निस्तारित किया जाना संभव भी नहीं है ऐसी स्थिति में पूरे ग्राम की खसरा मिलान की कार्यवाही प्रभावित होगी जो पूर्णतया अव्यावहारिक एंव अनुचित होगी जैसा कि विद्वान सहायक कलेक्टर गंगापुर के द्वारा निर्णय से भी स्पष्ट है कि दस्तावेजों से यह साबित होता है कि 284/6 रकबा 0.10 बिस्वा व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

Scanned by CamScanner

286/7 रकबा 3बीघा 10 बिस्वा अपीलार्थी के नाम दर्ज थी पुराने नक्शे में 284,285,286 का अंकन है परन्तु रिकार्ड ऑफ टाईटल्स (जमाबंदी) से इसकी पुष्टि नहीं होती है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से 2043-2046 के अनुसार खाता संख्या 34 में गुमानसिंह पिता भवानीसिंह 1/2 ,शिवदानसिंह पिता रामसिंह हिस्सा 1/2 सा सल्याडी राजपूत के नाम 286 मिन में 2 बीघा 11 बिस्वा 2 बिस्वांसी रकबा दर्ज है प्राथी द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 286 मीन के नये आधार नम्बर 757 रकबा 0.57 है0 है बने हैं जो पुराने क्षेत्रफल 2 बीघा 11 बिस्वा 2 बिस्वांसी के मुकाबले दुरूस्त है इस स्थिति में रेस्पोडेन्ट के खाते में अपीलार्थी के हक की भूमि उपलब्ध नही है । इस प्रकार अपीलार्थी की आधार न0 757 की भूमि का हक अपने खाते में दर्ज की मांग पूर्णतया अनुचित एंव अस्वीकार योग्य है । इस मामले में विद्वान सहायक कलेक्टर गंगापुर द्वारा उक्त प्रकरण में आदेश जारी करने में कोई कानूनी गलती नहीं की गई है । अपीलार्थी अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में लाकर अपने अधिकारियों का प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि रेगुलरवाद में विचारण की एक विस्तृत प्रकिया है जबकि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एक संक्षिप्त विचारण वाली प्रकिया है जिससे किसी प्रकार के हक अधिकारों का निर्णय नहीं हो सकता है । विद्वान सहायक कलक्टर गंगापुर के निर्णय दिनांक 29.08.2007 में कोई विधिक त्रृटि नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं हैं। xx

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 86/2007 (2007/00002) बउनवानी चतुर्भुज कायम मुकाम नगजीराम व अन्य बनाम हरिसिंह कायम मुकाम श्रीमती भंवरकंवर व अन्य को खारिज किया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी,गंगापुर जिला भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 26/2005 बउनवान चतुर्भुज बनाम हरिसिंह में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2007 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.04 14:42:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: